न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :— सुभाष चन्द्र, आर.ए.एस.

मैनुअल प्र.सं. :129 / 2005
सीसीएमएस : 2005 / 00012
1 देवेन्द्र सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी थान्देवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

—:वादी

बनाम

1 गुरचरण सिंह पुत्र मघर सिंह जाति जटसिख निवासी थान्देवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व, रायसिंहनगर
3 लक्ष्मीदीप कौर पुत्री गुरचरण सिंह पत्नी श्यामसुन्दर निवासी केशवरायपाटन
4 सुरेन्द्र कौर पत्नी गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी मकान नं. 27, अमृतनगर, देबला रोड, उदयपुर
5 विनयदीप कौर पुत्री गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी मकान नं. 27, अमृतनगर, देबला रोड, उदयपुर
6 गुरदेव कौर पत्नी गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी थान्देवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0

—:प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 88,92ए,53 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :—
1. श्री रविन्द्र बिश्नोई, अधिवक्ता वादी
2. श्री बलदेव सिंह निवाढ़ा, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1
3. श्री सोहनलाल जोशी, अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं. 3,4,5
4. श्री गुरप्रताप सिंह, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 6

—: निर्णय :—

दिनांक : 14/10/22

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि प्रतिवादी सं. 1 वादी का पिता हैं। वादी व प्रतिवादी सं. 1 के [illegible] शहरी सम्पति जिसमें पेट्रोल पम्प शामिल हैं, के अलावा चक 3 एफएफ बी के खाता सं. 67 / 66 प.नं. 229 / 243 मु.नु. 35 के 1.518है. नहरी, चक 8 एफएफ बी के खाता सं. 87 / 86 प.नं. 235 / 249 मु.नं. 52 के 6.074है. नहरी व प.नं. 235 / 250 मु.नं. 50 के 3.088है. कुल 9.162है. नहरी में से 3.054है. नहरी, चक 4 एफएफबी के खाता [illegible] 17 / 18 प.नं. 233 / 247 मु.नं. 62 के 3.100है. नहरी, खाता सं. 18 / 19 प.नं. 229 / 242 मु.नं. 25 के 4.834है. व खाता सं. 33 / 31 प.नं. 231 / 241 मु.नं. 22 के [illegible] 506है. प.नं. 230 / 241 मु.नं. 30 के 1.265है. प.नं. 230 / 242 मु.नं. 26 [illegible] 4.048है. नहरी भूमि व पंजाब में भी कृषि भूमि धारण करते थे। जो [illegible] पैतृक सम्पति की परिभाषा में आती हैं। जिसमें वादी का जन्म [illegible] हिस्सा [illegible] वादी के दादा मघर सिंह के देहान्त के पश्चात प्रतिवादी सं. 1 को भूमि विरासत [illegible] प्राप्त हुई है। उक्त सम्पति में वादी का 1 / 2 हिस्सा हैं। वादी [illegible] हिस्सा [illegible] सम्पति की विभाजन करवाने का विधिक अधिकारी हैं। वादी व प्रतिवादी सं. 1 पैतृक [illegible] प्राप्त होने के पश्चात आपसी सहमति व रजामंदी से प्रतिवादी सं. 1 ने वादी का उसमें जन्म से 1 / 2 हिस्सा निश्चित मानते हुए बंटवारा अरसा करीबन 15 साल पहले कर लिया [illegible] के अनुसार पंजाब में स्थित कृषि भूमि व समस्त शहरी पैतृक सम्पत्ति व पट्रोल [illegible] प्रतिवादी सं. 1 ने कृषि भूमि की कीमत बराबर मानते हुए अपने पास रखते हुए [illegible] का कब्जा वादी को सुपुर्द कर दिया। तब से निरन्तर वादी अपने काबिज

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.10.28 11:25:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

काश्त चला आ रहा हैं। वर्तमान में भी वादी के कब्जा काश्त मे हैं। प्रतिवादी विवादित भूमि जमाबंदी मे उसके नाम से होने से उसके किसी अन्य को विक्रय कर अन्तरित करेगा एवं वादी को बेदखल करेगा अथवा ऋण आदि उठाकर रहन कर देगा। यही तारीख बिनाय दावा बिनाय मुखासमत हैं। वादी अपने विधिक अधिकारों की संसुरक्षा हेतु वाद पत्र प्रस्तुत कर अपने अधिकारों की घोषणा करवा पाने व स्थाई व्यादेश प्राप्त करने का अधिकारी है। वाद पत्र स्वीकार कर विवादित पैतृक सम्पति चक 4 एफएफ बी तहसील रायसिंहनगर के खाता सं. 17/18 प.नं. 233/247 मु.नं. 62 के 3.100है. नहरी खाता सं. 18/19 प.नं. 229/242 मु.नं. 25 के 4.834है. नहरी में से 1/2 हिस्सा खाता सं. 33/31 मे प.नं. 231/241 मु.नं. 22 में 0.506है. व प.नं. 230/241 मु.नं. 23 मे 1.265है. व प.नं. 230/242 मु.नं. 27 मे 7.971है. इस खाता में से 4.048है. नहरी में से 1/2 हिस्सा एवं चक 8 एफएफबी तहसील रायसिंहनगर के खाता सं. 235 249 मु.नं. 52 के 6.074है. व प.नं. 235/250 मु.नं. 53 में 3.088है. नहरी कुल 9.162है. नहरी में से 3.054है. नहरी एवं चक 3 एफएफबी तहसील रायसिंहनगर के खाता सं 67/66 प.नं. 229/243 मु.नं. 35 के 1.518है. नहरी में से 1.012है. नहरी का 1/2 हिस्सा जो राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी गुरचरण सिंह के नाम से दर्ज हैं पर वादी अकेले के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करने, मुताबिक घोषणा राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दरामद करने तथा प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पारित करने कि वह विवादित भूमि पर वादी के कब्जा काश्त व सिंचाई व्यवस्था में किसी प्रकार की बेजा मदाखलत करने व उसे स्वयं या अन्य माध्यम से किसी भी प्रकार से अन्य को रहन बैय करने से बाज व ममनु रहे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध दिनांक 29.03.2006 एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित हो जाने के कारण पूर्ण विवेचन कर न्यायालय द्वारा दिनांक 16.03.2007 को प्रकरण में निर्णय पारित कर एकपक्षीय डिक्री बाबत पारित कर विवादित भूमि जो गुरचरण सिंह के नाम से दर्ज हैं का वादी देवेन्द्र सिंह अकेले को खातेदार घोषित कर स्थाई व्यादेश विरूद्ध प्रतिवादी पारित किया जाकर विवादित भूमि पर वादी कब्जा काश्त व सिंचाई व्यवस्था के किसी प्रकार की बेजा मदाखलत करने व उसके स्वयं या अन्य माध्यम से किसी भी प्रकार से अन्य किसी अन्य को रहन बैय करने से बाज व ममनु रहे, के आदेश दिए गये।

प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा आदेश अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 व धारा 151 सीपीसी बावत एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने हेतु प्रस्तुत करने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 27.06.2007 को प्रार्थना पत्र को निर्णित करते हुए न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय निर्णय दिनांक 16.03.2007 एवं प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध हुई एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 29.03.2006 को निरस्त कर दिया गया। एवं प्रकरण पुनः रिकार्ड पर लिया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.10.28 11:25:04 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी सं. 3, 4–5 एवं 6 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार कर प्रकरण में पक्षकार संयोजित किया गया। प्रतिवादी सं. 1 जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी का प्रतिवादी सं. 1 पिता होना स्वीकार हैं, चक 3 एफएफ बी एवं चक 4 एफएफ बी में भी प्रतिवादी की स्वअर्जित हैं। पैतृक भूमि होना अस्वीकार हैं। केवल चक 8 एफएफ बी की भूमि ही प्रतिवादी के पिता मघर सिंह से विरासत में आना स्वीकार हैं। पैट्रोल पम्प व पंजाब की भूमि पैतृक व संयुक्त सम्पति होना अस्वीकार हैं जिनमें वादी का जन्म से कोई अधिकार नहीं हैं। केवल पैतृक भूमि जो प्रतिवादी के पिता से आई थी उसमें ही वारिसान का हिस्सा बनता हैं लेकिन प्रतिवादी के जीवन काल में काई हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। प्रतिवादी द्वारा भूमि वादी को बांट कर नहीं दी हुई। भूमि को प्रतिवादी ही काश्त करवाता आया है मेरे ही कब्जा में चली आई हैं। वाद प्रथम दृष्टया सुने जाने योग्य नहीं हैं। वाद में विभिन्न सम्पत्तियों को सम्मिलित करते हुए वाद पेश किया गया हैं जो केवल सिविल न्यायालय द्वारा ही निर्णिय किये जाने योग्य होने के कारण न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर होने के कारण खारिज योग्य हैं। वाद पत्र पक्षकारान के कुसंयोजन असंयोजन के कारण खारिज किए जाने योग्य हैं। वाद पत्र में विवादित भूमि के सहकाश्तकारान को पक्षकार नहीं बनाया गया हैं तथा वादी के इलावा प्रतिवादी के दो और संताने लड़किया

लक्ष्यदीप व विनयदीप हैं जो अपनी पैतृक भूमि मे से हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी हैं। जिन्हे पक्षकार ना बनाए जाने के कारण वाद खारिज योग्य है। वादी का कभी भी प्रतिकूल कब्जा नहीं रहा। प्रतिवादी द्वारा ही काश्त करवाया जाता है। वादी तथा उसकी मां को भरण पोषण के तौर पर खर्चा दिया जाता रहा है। जिस कारण वाद खारिज किये जाने योग्य है। पैट्रोल पम्प का 1/4 हिस्सा स्वअर्जित खरीद किया गया व शेष समस्त हिस्सेदारान से शेष हिस्सा पत्नी सुरेन्द्र कौर द्वारा अपनी कमाई से खरीद किया गया था। जो दोनों द्वारा अपनी स्वअर्जित भूमि को स्वेच्छा से आगे हस्तांतरित किया है। जिसमें वादी का कोई हक अधिकार नहीं बनता है। पंजाब की भूमि को बेचान कर वादी की शादी व पढाई में खर्चा लगाया है। वादी कोई हक पाने का अधिकारी नहीं हैं। वाद पत्र गलत तथ्यों के आधार पर व झूठे, असत्य तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज योग्य हैं। वाद पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

प्रतिवादी सं. 3 से 5 जवाब दावा प्रस्तुत कर जवाब दावा प्रतिवादी सं. 1 के तथ्यों को दोहराते हुए अंकन किया हैं कि चक 8 एफएफ बी की 32.10 बीघा भूमि मात्र पैतृक भूमि बतलाई हैं। अगर ऐसा माना जावे तो उसमें प्रतिवादीगण बहैसियत पुत्री व पत्नी के नाते बराबर बराबर हक लेने की अधिकारिणी हैं। इसी प्रकार 3/5 भाग घोषित कर दिलाया जावे। प्रतिवादी ने दावा होने के पश्चात समस्त वादग्रस्त सम्पदा पर अपना कब्जा नाजायज कर लिया है, और इस प्रकार उसने अपने भाग से अधिक नाजायज लाभ उठाना शुरू कर दिया हैं, इसलिए इस चक की 3000 रू प्रतिबीघा की दर से मुआवजा बतौर ठेका वादी से दिलाने हेतु निवेदन किया।

प्रतिवादी सं. 6 जवाब दावा मय काउंटर क्लैम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादीया प्रतिवादी गुरचरण सिंह की वैध विवाहिता पत्नी हैं। इसलिए प्रतिवादीया का गुरचरण सिंह के हिस्सा की सम्पति पर हक हकूक व अधिकार हासिल हैं। गुरचरण सिंह की वैद्य अकेली संतान वादी देवेन्द्र सिंह होने से पैतृक सम्पति में वादी के अलावा किसी अन्य को कोई हक हकूक व अधिकार नहीं बनता। वादी का जन्म से ही 1/2 हिस्सा निश्चित हैं जिस पर वह काबिज हैं। प्रतिवादी गुरचरण सिंह ने प्रतिवादीया को उसके हिस्सा की सम्पति न देकर खुर्द बुर्द कर दी और भरण पोषण भी नहीं कर रहा है और अन्य जगह सम्पति खरीद कर प्रतिवादीगया के भरण पोषण व उसके हक से वंचित करने का प्रयास कर रहे हैं। वादी [illegible] सिंह को भी अन्य प्रतिवादीगण मिलकर उसके हक से वंचित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए काउंटर क्लेम स्वीकार कर प्रतिवादी गुरचरण सिंह की वैद्य [illegible] होने से प्रतिवादीया को उसकी शहरी सम्पति में से हिस्सा दिलाने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण में दिनांक 17.05.2010 को तनकीयात कायम की गयी। वादी की ओर से साक्ष्य में शपथ पत्र देवेन्द्र सिंह का पेश हुआ। दिनांक 14.02.2022 को जिरह प्रतिवादीगण एवं साक्ष्य प्रतिवादीगण बंद किये गये। बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील वादी अपनी बहस में कथन किया कि प्रतिवादीगण साक्ष्य बंद हो चुके हैं, प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा में अंकित तथ्यों को किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं किया है, इसलिए न्यायालय द्वारा प्रकरण में पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 16.03.2007 को ही अन्तिम निर्णय मानते हुए आदेश पारित करने के लिए निवेदन किया। वकील प्रतिवादी सं. 2 से 5 एवं वकील प्रतिवादी सं. 6 अपनी बहस में कथन किया कि उन्हें पक्षकारान की ओर से पैरवी की हिदायत नहीं हैं न ही पक्षकार उनके सम्पर्क में हैं। अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 अपनी बहस में जवाब दावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी द्वारा झूठे तथ्यों के आधार पर वाद पेश किया गया हैं भूमि पैतृक सम्पति की परिभाषा में नहीं आती हैं। वादी द्वारा पैट्रोल पम्प, शहर की सम्पत्ति, पंजाब की भूमि आदि के संबंध में वाद पेश किया हैं जो कि सिविल न्यायालय की अधिकारिता का हैं इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का न होने के कारण वाद प्रथम दृष्टया खारिज योग्य हैं। वाद पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

हमने बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बंद हो जाने के कारण जवाब दावा एवं काउंटर क्लेम को प्रतिवादीगण सिद्ध करने में असफल रहे हैं। जिससे जवाब दावा के तथ्यों के आधार पर प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता हैं। प्रतिवादी सं. 2 से 6 के अधिवक्ताओं द्वारा भी पैरवी की हिदायत नहीं होने का कथन

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.10.28 11:25:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

किया गया है ऐसी में प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित हैं। न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 16.03.2007 का अवलोकन किया। न्यायालय द्वारा पूर्व में प्रतिवादीगण की गैरहाजरी होने के कारण वाद वादी डिक्री किया गया था। वर्तमान में प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा तो प्रस्तुत किये गये हैं परन्तु उनके समर्थन में कोई साक्ष्य आदि प्रस्तुत नहीं किये हैं, ना ही शपथ पत्र वादी पर जिरह की गयी हैं। ऐसी स्थिति में वादी के वाद के तथ्य स्वतः सिद्ध हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार तथा काउंटर क्लेम प्रतिवादी सं. 6 खारिज किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 गुरचरण सिंह के नाम से दर्ज विवादित भूमि चक 4 एफएफ बी तहसील रायसिंहनगर के खाता सं. 17/18 प.नं. 233/247 मु.नं. 62 के 3.100है. नहरी, खाता सं. 18/19 प.नं. 229/242 मु.नं. 25 के 4.834है. नहरी में से 1/2 हिस्सा, खाता सं. 33/31 में प.नं. 231/241 मु.नं. 22 में 0.506है. व प.न. 230/241 मु.नं. 23 में 1.265है. व प.नं. 230/242 मु.नं. 26 में 6.200है. इस खाता में से 4.048हे. नहरी में से 1/2 हिस्सा एवं चक 8 एफएफबी तहसील रायसिंहनगर के खाता सं. 235/249 मु.नं. 52 के 6.074है. व प.नं. 235/250 मु.नं. 5[illegible] के 3.088है. नहरी कुल 9.162है. नहरी में से 3.054है. नहरी एवं चक 3 एफएफबी तहसील रायसिंहनगर के खाता सं. 67/66 प.नं. 229/243 मु.नं. 35 के 1.518है. नहरी में से 1.012है. नहरी का 1/2 हिस्सा जो राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 गुरचरण सिंह के नाम से दर्ज हैं का वादी देवेन्द्र सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी [illegible] को खातेदार घोषित किया जाता हैं। तथा स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण [illegible] जारी की जाती हैं कि वे विवादित भूमि पर वादी के कब्जा काश्त व [illegible] किसी प्रकार की बेजा मदाखलत करने व उसे स्वयं या अन्य माध्यम से किसी भी प्रकार से अन्य को रहन, बैय करने से बाज व ममनु रहे।

शेष अंकन यथावत रहेगा। बैंक आदि के रहन का अंकन यथावत रहेगा। भूमि की प्रकृति/किस्म (सिंचित, असिंचित, गै.मु. इत्यादि) परिवर्तित नहीं की जाएगी।

इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 14/10/22 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष चन्द्र)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.10.28 11:25:04 IST
Reason: SelfAttested